राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302005
(दूरभाष नं0:—0141—2740837, फैक्स 0141—2742309, ई—मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:— प.4(ई)(1)(6) क.ले./भर्ती (2023)/अलेसे—III/10581 दिनांक:— 6.1.2026

परिपत्र

अद्योहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न विभागों/कार्यालयों की दीवारों व अन्य स्थानों पर पोस्टर चस्पा करने के संबंध राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 के नियम 3(1)(ii) के अन्तर्गत अशिष्ट व्यवहार मानते हुए उक्त कृत्य के लिए राज. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत कार्यवाही करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अतः भविष्य में इस तरह की स्थिति पुनः उत्पन्न ना हो, इसलिए सभी अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में चुनाव प्रचार हेतु सभी राजकीय विभागों/कार्यालयों के भवन परिसरों एवं कक्षों में पोस्टर चस्पा ना करें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:— प.4(ई)(1)(6) क.ले./भर्ती (2023)/अलेसे—III/10581 दिनांक:— 6.1.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. राजस्थान अकाउटेन्ट एसोशियश्न, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
5. संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—II/III)

D:\2019\SEEMA JI\ORDER.DOCX:- 6